**संख्या-379/2017/11/22-2-2017-17(29)/2017**

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2*** ***लखनऊ: दिनांक 01 जून, 2017***

विषय:- जिला कारागार, कानपुर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी विद्या यादव पत्नी श्री नारायण प्रसाद निवसी जनपद- कानपुर नगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-42941/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक-28.10.2016 दिनांक 02.12.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 02.12.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, कानपुर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी विद्या यादव पत्नी श्री नारायण प्रसाद, निवासिनी-म0नं0-22 विल्ला टटिया, थाना-चकेरी, जनपद-कानपुरनगर की रहने वाली है। महिला बन्दी द्वारा दहेज की मांग को लेकर दिनांक 11.01.10 को महिला बन्दी ने अपने 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मिट्टी का तेल डालकर 01 महिला की हत्या कर अपराध कारित किया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1241/10 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, द्रुतगामी न्यायालय, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 25.01.2016 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.03.2016 तक 06 वर्ष 01 माह 28 दिन की अपरिहार एवं 06 वर्ष 01 माह 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट तथा दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन सक्षम स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त यह पाया गया कि बन्दी द्वारा काटी गयी सजा मात्र 6 वर्ष है तथा सह अभियुक्त अभी कारागार में निरूद्ध है। अत: समयपूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि महिला बन्दी विद्या यादव (बन्दी संख्या-59/16) पत्नी श्री नारायण प्रसाद, निवासिनी-जनपद-कानपुर नगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

**संख्या-379/2017/11/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, कानपुर नगर।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in